न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10/2025	27.01.2025	17.04.2025

अनवान

1. सुरेश चन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. ईन्दुदेवी पुत्री रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. कौशल्या देवी पत्नी रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. गायत्री देवी पुत्री रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. राजकुमारी पुत्री रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. शिवनारायण पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. सुमित्रादेवी पुत्री रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण मृत्तक के बजाय–
   7/1– मनीष पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी सिन्दपन तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर, (मध्य प्रदेश)।
   7/2– लोकेश पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी सिन्दपन तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर, (मध्य प्रदेश)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. अमरसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. रामसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. होकमसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. किशनसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. गणेश पुत्र शंकरलाल पूर्बिया जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी चौकाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. सोहनलाल पुत्र शंकरलाल पुर्बिया जाति पुर्बिया आयु वयस्क निवासी चौकाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. नारायण पुत्र लक्ष्मणलाल पुर्बिया जाति पुर्बिया आयु वयस्क निवासी चौकाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. जयप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. रामलाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. भैरूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

जुजारसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

13. सोहनलाल पुत्र नारायणलाल जाति ब्राहम्ण (गौड़) आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. शम्भूलाल पुत्र चान्दमल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. नारायणलाल पुत्र लक्ष्मण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चौकाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. भोनीराम पुत्र कुका जाति पूर्बिया आयु वयस्क निवासी चौका खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. मुकेश पुत्र भगवानदास जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. कौशल्यादेवी पत्नी बन्शीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. मन्जु देवी पुत्री बन्शीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. हरीशंकर पुत्र बन्शीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
21. गोविन्द प्रसाद पिता बन्शीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
22. मोहनलाल पुत्र चेना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चौकाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
23. अणछी बाई पत्नी लक्ष्मणलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चौकाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
24. नाबालिग प्रकाश, नाबालिग मन्जु, नाबालिग मनोज पुत्र लक्ष्मण लाल संरक्षक सरपरस्त माता अणछी बाई पत्नी लक्ष्मण लाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी चौकाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड0 — प्रार्थीगण
एकतरफा — अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भट्टों का बामनिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 422 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1212, 1301, 1304, 1305, 1309, 1310, 1317 कुल किता 07 कुल रकबा 2.20 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 423 की आराजी संख्या 1291, 1296, 1297, 1302, 1303 कुल किता 05 कुल रकबा 1.08 हैक्ट0, खाता संख्या 419 की आराजी संख्या 1395, 1396, 1397, 1398 कुल किता 04 कुल रकबा 2.40 हैक्ट0, खाता संख्या 424 की आराजी संख्या 1298, 1299, 1300 कुल किता 03 कुल रकबा 0.58 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 421 की आराजी संख्या 1388, 1389, 1390, 1391 कुल किता 04 कुल रकबा 1. 24 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–वहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौडगढ (राज.)

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा भट्टों का बामनिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 422 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1212, 1301, 1304, 1305, 1309, 1310, 1317 कुल किता 07 कुल रकबा 2.20 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 423 की आराजी संख्या 1291, 1296, 1297, 1302, 1303 कुल किता 05 कुल रकबा 1.08 हैक्ट0, खाता संख्या 419 की आराजी संख्या 1395, 1396, 1397, 1398 कुल किता 04 कुल रकबा 2.40 हैक्ट0, खाता संख्या 424 की आराजी संख्या 1298, 1299, 1300 कुल किता 03 कुल रकबा 0.58 हैक्ट0, तथा खाता संख्या 421 की आराजी संख्या 1388, 1389, 1390, 1391 कुल किता 04 कुल रकबा 1.24 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 धगाणा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधियत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश मुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन